न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 72/2023

1 कैलाश पुत्र प्रभाता
2 चन्द्रपति पत्नी जगदीश
3 महेश कुमार पुत्र जगदीश
4 लाल सिंह पुत्र जगदीश
5 बिमला पुत्री जगदीश
6 सीता पुत्री जगदीश
7 कौशल्या पत्नी यादराम
8 रामसिंह पुत्र यादराम
9 राजपाल पुत्र यादराम
10 राहुल पुत्र यादराम
समस्त जाति अहीर निवासी बलवान नगर, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 मेघसिंह पुत्र जमन सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढ़ान तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ.धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.04.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (लोक अदालत कैम्प जसरापुर) बमुकदमा नम्बर 64/2017 उनवानी मेघसिंह बनाम राज. सरकार वगै. दावा– घोषणात्मक खातेदारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री संदीप सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरिप्रसाद सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 28/2/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 64/2017 में पारित निर्णय दिनांक 27.04.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ग्राम बहलवान नगर तहसील खेतड़ी की भूमि खसरा नम्बर 184 ग्राम ढाणी बाडा तहसील खेतड़ी की भूमि खसरा नम्बर 666, 400 के संदर्भ में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2023 को मामले में निर्णय व डिक्री पारित की गई है वह निर्णय एवं डिक्री वादी के निवेदन पर राजस्व लोक अदालत कैम्प जसरापुर में पेश होने पर पारित की गई है जबकि मामले में अपीलान्टस व उनके अधिवक्ता को उक्त कैम्प में सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किये गये तथा ना ही उनको किसी प्रकार से सूचित कया गया। इसलिए विचारण न्यायालय ने पक्षकारान को बिना सुने एवं साक्ष्य लेखबद्ध किये बिना ही उक्त गलत निर्णय व डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस की ओर से कन्टेस्टिंग जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया गया था तो ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध कर एवं दस्तावेजात का अवलोकन कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था क्योंकि वादी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के द्वारा मौजुदा वाद के जरिये घोषणात्मक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खातेदारी की रिलिफ चाही गई थी। इसलिए उक्त रिलिफ को देखते हुए पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध की जानी अति आवश्यक थी। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने भूमि खसरा नम्बर 184 रकबा 0.82 हैक्टेयर भूमि के खातेदार बच्चन सिंह, रामकुवार सिंह पिता गोपाल सिंह का अपने आपको दत्तक पुत्र होना बताया है जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की ओर से गोद लेने के संबंध में कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य पेश नहीं की गई है केवल तहसीलदार खेतड़ी की रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 मेघसिंह को बच्चन सिंह व रामकुवार सिंह का उत्तराधिकारी मानना न्यायोचित नहीं है। क्योंकि वारिस के संबंध में तहसीलदार को जांच रिपोर्ट देने का कोई अधिकार नहीं है तथा यह मान भी लिया जावे कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को बच्चन सिंह व रामकुवार सिंह द्वारा सामाजिक रिति रिवाज अनुसार गोद लिया गया था तो एक व्यक्ति ही एक समय में एक व्यक्ति को गोद ले सकता है इस मामले में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने आपको बच्चन सिंह व रामकुवार सिंह के द्वारा गोद लेना बताया है जो किसी भी प्रकार सुसंगत नहीं है। इसलिए विचारण न्यायालय ने मामले में उक्त बिन्दु बिना तनकी एवं साक्ष्य के निर्णित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट में भूमि खसरा नम्बर 184 पर अन्य व्यक्तियों की काश्त होना दर्ज किया गया है इसके बाद भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस की जवाब देही एवं उनके कब्जे काश्त के बिन्दु को नजरअन्दाज करते हुए मामले में गलत निर्णय व डिक्री पारित की है। विधिक का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारान को सुनकर ही मामले का निर्णय किया जाना चाहिए परन्तु मामले में अपीलान्टस को बिना सुने ही लोक अदालत की पवित्र भावना के विपरित जाकर उक्त निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.04.2023 को निरस्त किया जाकर पत्रावली पुनः गुणावगुण पर सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध खसरा मिलान क्षेत्रफल ग्राम भिटेरा गत खसरा नम्बर 111 से हाल खसरा नम्बर 184 रकबा 0.82 है. निर्मित हुआ है भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा पैमाईश की कार्यवाही के दौरान जमाबन्दी संवत 2043 खसरा नम्बर 184 रकबा 0.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

82 है. बचनसिंह, रामकुमार सिंह पिता गोपाल सिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार नाम दर्ज रिकार्ड हुई है तथा वर्तमान जमाबन्छी संवत 2072–75 खाता संख्या 47 खसरा नम्बर 184 रकबा 0.82 है. ग्राम बहलवान नगर में बचनसिंह रामकुवार सिंह पिता गोपाल सिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त राजस्व ग्राम बहलवान नगर, राजस्व ग्राम भिटेरा से नवसृजित हुआ था। उक्त खातेदार बचनसिंह, रामकुवार सिंह पिता गोपाल सिंह की मृत्यु हो चुकी है जिसकी पुष्टि पत्रावली उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र बचनसिंह व रामकुवार सिंह पिता गोपाल सिंह से होती है। उक्त मृतक खातेदारान का विधिक वारिश वादी ही है जिसकी ताईद सरपंच, ग्राम पंचायत मानोता जाटान द्वारा दी गई वारिस रिपोर्ट मं एवं तहसीलदार खेतड़ी की रिपोर्ट से होती है। चूंकि उक्त दोनों खातेदार क्रमशः बचन सिंह, रामकुवार सिंह पिता गोपाल सिंह की मृत्यु हो चुकी है जो अविवाहित व नाऔलाद थे, जिनका विधिक वारिस वादी होन से दोनों राजस्व ग्राम बहलवान नगर, ढाणी बाढ़ा स्थित वादग्रस्त भूमि बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी भी वादी ही है। इस प्रकार ग्राम बहलवान नगर स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 184 रकबा 0.82 हैक्टेयर की बाबत प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 11 की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा साबित नहीं होने से विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2023 को मामले में निर्णय व डिक्री पारित की गई है वह निर्णय एवं डिक्री वादी के निवेदन पर राजस्व लोक अदालत कैम्प जसरापुर में पेश होने पर पारित की गई है जबकि मामले में अपीलान्टस व उनके अधिवक्ता को उक्त कैम्प में सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किये गये तथा ना ही उनको किसी प्रकार से सूचित किया गया। इसलिए विचारण न्यायालय ने पक्षकारान को बिना सुने एवं साक्ष्य लेखबद्ध किये बिना ही उक्त निर्णय व डिक्री पारित कर विधिक त्रुटि की है।

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस की ओर से कन्टेस्टिंग जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया गया था तो ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध कर एवं दस्तावेजात का अवलोकन कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था क्योंकि वादी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के द्वारा मौजुदा वाद के जरिये घोषणात्मक खातेदारी की रिलिफ चाही गई थी। इसलिए उक्त रिलिफ को देखते हुए पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध की जानी अति आवश्यक थी। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने भूमि खसरा नम्बर 184 रकबा 0.82 हैक्टेयर भूमि के खातेदार बच्चन सिंह, रामकुवार सिंह पिता गोपाल सिंह का अपने आपको दत्तक पुत्र होना बताया है जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की ओर से गोद लेने के संबंध में कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य पेश नहीं की गई है केवल तहसीलदार खेतड़ी की रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 मेघसिंह को बच्चन सिंह व रामकुवार सिंह का उत्तराधिकारी मानना न्यायोचित नहीं है। क्योंकि वारिस के संबंध में तहसीलदार को जांच रिपोर्ट देने का कोई अधिकार नहीं है तथा यह मान भी लिया जावे कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को बच्चन सिंह व रामकुवार सिंह द्वारा सामाजिक रिति रिवाज अनुसार गोद लिया गया था तो एक व्यक्ति ही एक समय में एक व्यक्ति को गोद ले सकता है इस मामले में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने आपको बच्चन सिंह व रामकुवार सिंह के द्वारा गोद लेना बताया है जो किसी भी प्रकार सुसंगत नहीं है। इसलिए विचारण न्यायालय ने मामले में उक्त बिन्दु बिना तनकी एवं साक्ष्य के निर्णित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट में भूमि खसरा नम्बर 184 पर अन्य व्यक्तियों की काश्त होना दर्ज किया गया है इसके बाद भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस की जवाब देही एवं उनके कब्जे काश्त के बिन्दु को नजरअन्दाज करते हुए विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर विधिक त्रुटि की है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारान को सुनकर ही मामले का निर्णय किया जाना चाहिए परन्तु मामले में अपीलान्टस को बिना सुने ही लोक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अदालत की पवित्र भावना के विपरित जाकर उक्त निर्णय व डिक्री पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यांयालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तनकीयात कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 28/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर